रजिस्टर्ड ए0डी0

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल,दिनांक 02 फरवरी, 2018

क्रमांक एफ–2(अ)/10/2017/बी–4/दो :: राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2015 में आयोजित संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफिसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक, नगर सेना के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफिसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक, नगर सेना के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेबल–10 (रूपये 56,100–132,000/–) में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में दर्शाये स्थान पर पदस्थ करता है :–

स0क्र0	लोकसेवा आयोग की चयन सूची का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम व पता	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	5
1	01	श्री हर्ष कुमार जैन आत्मज श्री दामोदर लाल जैन वार्ड नं0 7, सेठ मोहल्ला शाहगढ, जिला सागर म0प्र0 470339	कटनी
2	02	श्री मयंक कुमार जैन आत्मज श्री विनोद कुमार जैन आशीर्वाद अस्पताल के सामने कृष्णपुरम कालोनी, शिवपुरी म0प्र0 पिन– 473551	भिण्ड
3	03	श्री कुलदीप मलिक आत्मज श्री ओमप्रकाश मलिक वार्ड क्र0–14, सुल्तानपुर तह. सुल्तानपुर जिला रायसेन, मध्यप्रदेश पिन–464986	हरदा
4	05	श्री कमल नाथ धुर्वे आत्मज श्री प्रताप सिंह धुर्वे 251 रवीन्द्र नगर, धनी की कुटिया आधारताल जबलपुर मध्यप्रदेश पिन–482004	श्योपुरकला

2/– नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी भोपाल में प्राप्त कर, परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

3/– उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश नगर सेना (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 से शासित होगें।

4/– नवनियुक्ति अधिकारी की सेवाएं किसी सभी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोडना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति मे एक माह का वेतन वे अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

5/– नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाये जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6/– राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हे लागू किया जाये, के अध्यधीन रहेंगे।

7/– नियुक्त (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है इसकी पूर्ति कर, महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से गृह विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

8/– नवनियुक्त अधिकारी पूर्व से शासकीय, अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

9/– उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी शैक्षणिक योग्यता, एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले में प्रस्तुत करेगें।

10 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो क लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002 (कमांक–10 सन 2002) दिनांक 13.5.2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर में कर दी गई है।

11/– प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमाक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्री दास)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

पृ0 कमांक एफ–2(अ)/10/2017/बी–4/दो भोपाल,दिनाक 02/02/ 2018

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग

2 महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, म.प्र.

3 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर उनके पत्र कमांक 2988/76/2016/चयन, दिनांक 19 मई 2017 एवं पत्र कमांक 6641/76/2016/चयन दिनांक 21 जुलाई 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

4 आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल

5 क्षेत्रीय उप प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर। प्लाट नं0 1170, प्रथम तल शिवमूला टॉवर मेन रोड राईट टाउन जबलपुर

6 संचालक, आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल।

7 संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।

8 संबंधित संभागीय सेना, नगर सेना।

9 संबंधित जिला सेनानी, नगर सेना।

10 कमाण्डेंट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंगेली, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

11 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, गृह
स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह।

12 निज सहायक, प्रमुख सचिव, गृह।

13 संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी..
....

समस्त उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला सेनानी/जूनियर स्टाफ ऑफिसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक, नगर सेना के पद पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगीं।

14 आर्डर बुक/स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2.2.18

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग